पत्रांक–मो02–मोतिहारी–48 / 2025– 1987

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

ई0 ब्रजेश मोहन,
अभियंता प्रमुख (मुख्यालय),
जल संसाधन विभाग, पटना।

सेवा में,

परियोजना निदेशक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
परियोजना कार्यान्वयन इकाई– मुजफ्फरपुर।

पटना, दिनांकः– 03/10/2026

विषयः– भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, मुजफ्फरपुर द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली योजना Widening and Upgradation of existing Two Lane with Paved Shoulder Carriageway of Muzaffarpur – Barauni Section of NH-122 to Four Lane with Paved Shoulder Carriageway from Design Ch. Km. 529+000 to Design Ch. Km. 627+480, Total Length– 98.480 km and additional 5.75 km Proposed Greenfield Bypass connecting Dighra Patti (NH-122) With Madhaul (NH-22) in the state of Bihar- प्रस्तावित तिरहुत मुख्य नहर के कि0मी0 222.72 से कि0मी0 227.08 के बीच नहर के बाये एवं दाये नहर बांध पर एलिभेटेड सड़क सह पुल निर्माणार्थ अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

प्रसंगः– मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, मोतिहारी का पत्रांक 3476 दिनांक 03.10.2026

महाशय,

तिरहुत नहर प्रमंडल, रतवारा अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, मुजफ्फरपुर द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली योजना Widening and Upgradation of existing Two Lane with Paved Shoulder Carriageway of Muzaffarpur – Barauni Section of NH-122 to Four Lane with Paved Shoulder Carriageway from Design Ch. Km. 529+000 to Design Ch. Km. 627+480, Total Length– 98.480 km and additional 5.75 km Proposed Greenfield Bypass connecting Dighra Patti (NH-122) With Madhaul (NH-22) in the state of Bihar- प्रस्तावित तिरहुत मुख्य नहर के कि0मी0 222.72 से कि0मी0 227.08 के बीच नहर के बाये एवं दाये नहर बांध पर एलिभेटेड सड़क सह पुल निर्माणार्थ अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने का अनुरोध किया गया है। प्राप्त प्रस्ताव पर सम्यक् समीक्षोपरांत विषयक कार्य हेतु निम्नांकित शर्तों के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता हैः–

1. नहर से संबंधित भू–खंड पर जल संसाधन विभाग का स्वामित्व पूर्णतः बना रहेगा।
2. नहर के चाट भूमि या नहर के किसी भाग से मिट्टी नही काटी जायेगी एवं नहर के Bed Level को किसी भी तरह से क्षतिग्रस्त नही किया जायेगा ।
3. सिंचाई अवधि में नहर मार्ग को बिल्कुल Clear रखा जाएगा तथा सिंचाई अवधि में नहर मार्ग में कार्य कराने की अनुमति नही होंगी ताकि नहर संचालन में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो।
4. निर्माण कार्य के दौरान नहर तटबंध या सेवा पथ का कोई भाग क्षतिग्रस्त होता है, तो उसे कार्यकारी विभाग (NHAI) अपने खर्च पर मरम्मति कराना सुनिश्चित करेगा ।
5. कार्य पूर्ण होने के पश्चात् सभी अनुपयोगी एवं अवशेष सामग्री को स्थल से हटाने का दायित्व कार्यकारी विभाग (NHAI) का होगा ।

सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्स्थापन का कार्य सुगमतापूर्वक किया जा सके। एलिवेटेड सड़क के पियर, एप्रोच अथवा अन्य संरचनाएं नहर रख–रखाव कार्यों में बाधक नहीं होनी चाहिए।

19. निर्माण के क्रम में अथवा उसके बाद कभी भी नहर बांध का Hydraulic Gradient Line (HGL Line) Fail नहीं करें यह सुनिश्चित किया जायेगा।
20. कार्य प्रारंभ करने की सूचना मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, मोतिहारी, अधीक्षण अभियंता, तिरहुत नहर अंचल, मुजफ्फरपुर एवं कार्यपालक अभियंता, तिरहुत नहर प्रमंडल, रतवारा, मुजफ्फरपुर को निश्चित रूप से दी जायेगी, जिससे कि जल संसाधन विभाग के अभियंताओं के देख–रेख मे समय–समय आवश्यक दिशा–निर्देश देकर शर्तों का अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे।
21. उपर्युक्त शर्त्तों का उल्लंघन होने पर कार्य को अवैध माना जायेगा।

विश्वासभाजन

03/10/26

(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)

ज्ञापांकः– मो02–मोतिहारी–48/2025– 1987 /पटना, दिनांकः 03/10/26

प्रतिलिपिः– मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, मोतिहारी/अधीक्षण अभियंता, तिरहुत नहर अंचल, मुजफ्फरपुर/कार्यपालक अभियंता, तिरहुत नहर प्रमंडल, रतवारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि अनापत्ति प्रमाण पत्र में अंकित शर्तों का अनुपालन मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता सुनिश्चित करेंगे।

03/10/26

(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)

ज्ञापांकः– मो02–मोतिहारी–48/2025– 1987 /पटना, दिनांकः 03/10/26

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

03/10/26

(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)

ज्ञापांकः– मो02–मोतिहारी–48/2025– 1987 /पटना, दिनांकः 03/10/2026

प्रतिलिपिः–कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, जल संसाधन विभाग, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

03/10/26

(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)

6. नहर के सेवापथ में Continuity हेतु आवश्यक कार्य यथा Ramp and Extra Widening आदि को निर्माण कार्य, कार्यकारी विभाग (NHAI) अपने खर्च पर कराना सुनिश्चित करेगी ।
7. प्रस्तावित संरचना के निर्माण हेतु तिरहुत मुख्य नहर के विद्यमान जलमार्ग के अन्दर किसी भी प्रकार की नींव, पियर अथवा अन्य संरचनात्मक व्यवस्था का निर्माण नही किया जायेगा ।
8. प्रस्तावित संरचना का निर्माण कार्यकारी विभाग सक्षम प्राधिकार के द्वारा अनुमोदित आलेख्य के अनुसार कराना सुनिश्चित करेंगे एवं उसकी एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
9. नहर का रूपांकित सेक्शन को मेंटेंन हेतु आवश्यक कार्य यथा मिट्टी भराई कार्य, सुरक्षात्मक कार्य आदि को कराने का दायित्व कार्यकारी विभाग/निकाय का होगा।
10. नहर बॉध के सुरक्षा हेतु प्रोटेक्शन वॉल का निर्माण तथा संरचना के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में सुरक्षात्मक कार्य प्रस्ताव योजना के पूरे लंबाई में कार्यकारी विभाग द्वारा कराया जायेगा।
11. कार्य कराते समय तथा भविष्य में किसी भी प्रकार की कठिनाई आने पर जल संसाधन विभाग के अभियंताओं द्वारा दिये गये अनुदेशों का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा।
12. प्रस्तावित Elevated Road/ Bridge का नहर सेवापथ शीर्ष लेभेल से Ground Clearance न्यूनतम 7 मीटर रखा जायेगा जिससे भविष्य में नहर बांध पर मरम्मति या अन्य कार्य करने हेतु मशीनरी यथा पोकलेन/लंबे वूम वाले मशीनरी आदि के संचालन तथा तिरहुत मुख्य नहर के कि.मी. 223.17 पर अवस्थित Escape regulator के गेट उत्तोलन/संचालन में कोई व्यवधान नहीं हो।
13. प्रस्तावित एलिवेटेड सड़क के निर्माण से नहर संरचना/बांध के मजबूती, स्थायित्व एवं जल प्रवाह क्षमता पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। नहर के कंट्री साइड टो के निकट प्रस्तावित पियर फाउंडेशन के निर्माण में इसका विशेष ध्यान रखा जाए।
14. संरचना के रूपांकन तथा आलेख्य, निर्माण विधि तथा नहर बांध के सुरक्षा/सुदृढ़ीकरण से संबंधित सभी प्रावधानों को कार्य प्रारंभ करने से पूर्व जल संसाधन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय (संबंधित प्रमंडल) को उपलब्ध करा कर समुचित रूप से परीक्षण/समीक्षा कराया जाएगा। संबंधित मुख्य अभियंता स्तर पर इसकी समीक्षा की जाएगी। क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दिए गए सभी तकनीकी सुझावों/निर्देशों का NHAI/कार्यकारी एजेंसी द्वारा निर्माण के दौरान अनिवार्य रूप से अनुपालन किया जाएगा।
15. प्रस्तावित एलिवेटेड सड़क के निर्माण के कारण नहर अथवा उसके तटबंध को होने वाली किसी भी क्षति की मरम्मत/पुनर्स्थापन NHAI/कार्यकारी एजेंसी द्वारा अपने खर्च पर की जाएगी।
16. निर्माण अवधि के दौरान NHAI/कार्यकारी एजेंसी एवं संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के बीच निरंतर एवं प्रभावी समन्वय सुनिश्चित किया जाएगा।
17. कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व जल संसाधन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय को पर्याप्त पूर्व सूचना दी जाएगी। निर्माण के दौरान आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय अपनाए जाएंगे, ताकि नहर के तटबंध में कटाव, अंडरमाइनिंग, धंसाव, रिसाव अथवा किसी प्रकार की अस्थिरता उत्पन्न न हो। नहर को प्रभावित करने वाला कोई कार्य जल संसाधन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय से पूर्व समन्वय के बिना नहीं किया जाएगा।
18. एलिवेटेड सड़क एवं उसके एप्रोच के निर्माण के कारण नहर सेवापथ के रुपांकित चौड़ाई, ऊँचाई एवं उपयोगिता में किसी प्रकार की कमी नहीं की जाएगी। नहर के निरीक्षण, संचालन एवं रख–रखाव हेतु पर्याप्त स्थान एवं आवश्यक क्लियरेंस उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि भविष्य में आवश्यकता अनुसार एक्सकेवेटर एवं लंबे/बड़े बूम वाली मशीनों के माध्यम से नहर के रख–रखाव, मरम्मत,